बस यूं ही...

शांता पारेख, इन्दौर
9425311944

गुरुकुल से जेमर

इनविजिलेशन, परीक्षा का अपरिहार्य अंग है, तीन घंटे की लगातार आँख कान व पैर को चलाना है. अध्यापन कार्य करने वालो को इस कार्य से अतिरिक्त आय होती तो खुशी भी बहुत होती, कई अटकी खरीदयां करली जाती, गर्मी की छुट्टी मे आने वाले मेहमानों की आवभगत अच्छी हो जाती है. इसमें अगर कॉपी जाँचने का बंडल मिल जाये तो बांन्छे खिल जाती है. मैंने नब्बे मे निवृत होते टीचर को नज़दीक से देखा है, बड़ी संजीदगी से कॉपी जाँचते थे,उनको लगता मेरी छोटीसी लापरवाही से बच्चे का भविष्य बर्बाद हो सकता है इसलिए दरवाज़ा बंद कर मनोयोग से ये पवित्र कार्य का संपादित होता था. आज सारी परिस्थिति बदल गई कॉपी एक हॉल मे पुलिस पहरे मे जांचे जाती है, सामूहिक नक़ल व शैतान विद्यार्थी के चलते जेमर तक लगाए जाते है परीक्षा प्रमेंट बेटी के विवाह जैसा चुनोती पुर्ण काम हो गया ऊपर से रोज के लीक ने तो शिक्षा का रायता फैला दिया, सरकार कितनी संजीदा है वह सबको पता है नैतिक पतन ने सारी व्यवस्था का जो आनंद था, उसको एक अंत हीन पीड़ा , रिसते घाव मे परिवर्तित कर दिया है. निदान सबका केमेरा ही, जिसे कोइ भी कभी भी मोड़ कर सारी कारस्तानिया कर सकता है. गुरुकुल से जैमर तक की यात्रा बड़ी त्रासदी है. अभी तो कोइ उपाय है नहीं किसी बड़े मसीहा का इंतज़ार करें चलो.

नए एयरमैप से धड़ाधड़ उडेंगी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स

इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट से नई फ्लाइट्स का ऐलान

इंदौर। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की नई नागरिक उड्डयन नीति का असर दिखने लगा है। मध्य प्रदेश एविएशन हब के रूप में पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट इंदौर और भोपाल से हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। ग्वालियर व जबलपुर एयरपोर्ट पर भी रौनक बढ़ गई है। इसके अलावा नए एयरपोर्ट रीवा से भी हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

विश्व का प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र खजुराहो भी पर्यटन के मौसम में रंगत बिखेर रहा है। अब उज्जैन व शिवपुरी से भी बहुत जल्द हवाई जहाज उड़ाने की प्लानिंग है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू होने से मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर आपस में सीधे कनेक्ट हो चुके हैं।

इंदौर का देवी अहिल्या बाई होल्कर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। यहां से 15 जुलाई 2026 से अबू धाबी के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू होने जा रही है। इंदौर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी साल फरवरी से इंदौर से शारजाह की हवाई सेवा बंद हो गई थी। अब इसकी जगह एयर इंडिया की अबू धाबी के लिए हवाई सेवा शुरू हो रही है।

ये सर्विस शुरू होने से इंदौर व भोपाल के हवाई यात्रियों को दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबू धाबी के जायद एयरपोर्ट से यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व के अनेक शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट उपलब्ध हैं। इंदौर एयर कार्गो हब के रूप में भी विकसित हो रहा है।

इंदौर से उड़ान भरती हैं 83 फ्लाइट्स

वर्तमान में इंदौर एयरपोर्ट से कुल 83 फ्लाइट्स रोजाना हैं। 10 हजार से ज्यादा यात्री रोजाना सफर करते हैं। समर सीजन में कई और रूट पर हवाई सेवा मिलती है। इंदौर से इंदौर से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई जैसे बड़े शहरों के लिए सीधी फ्लाइट्स हैं।

पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गोवा, रायपुर, जोधपुर, जलगांव के लिए भी इंदौर से हवाई सेवा है। इसके अलावा इंदौर से जबलपुर और रीवा के लिए हवाई सेवा उपलब्ध है। इंदौर एयरपोर्ट के जनसंपर्क अधिकारी आरएस यादव ने बताया कि एयरपोर्ट पर अब 24 घंटे फ्लाइंग ऑपरेशन हो सकेगा। 17 महीने से एयर स्ट्रिप और रनवे के रखरखाव का काम चल रहा था। रनवे रिकार्पेटिंग का काम पूरा हो चुका है। जिसके बाद अब यहां रात में भी विमान उड़ान भर सकेंगे। खास बात यह है कि फ्लाइट समय पर उड़ान भरेंगी।

निष्पक्ष

शुभम दुबे
स्तंभकार और राजनीतिक विश्लेषक

शहर नशेड़ीयों के हवाले कर दिया ?

रविवार की रात कलेक्टोरेट चौराहे पर जो हुआ, वह केवल एक शीशा टूटने की घटना नहीं, बल्कि इंदौर के उस भरोसे के चकनाचूर होने की आवाज थी, जो इसे देश का सबसे सुरक्षित शहर बनाती रही है।

जब एक आम परिवार अपनी कार में शांति से घर लौट रहा हो और अचानक एक नशे में धुत उपद्रवी बोनट पर चढ़कर शराब की बोतल से हमला कर दे, तो उस कार के भीतर गूंजती महिला और बच्चों की चीखें पूरे प्रशासन की विफलता का कच्चा-चिट्ठा खोल देती हैं। क्या इंदौर अब इतना लाचार हो गया है कि एक पिता अपने परिवार को लेकर सुरक्षित घर नहीं पहुँच सकता?

यह सवाल इंदौर के हर उस नागरिक के मन में है, जो सड़कों पर निकलते समय अब डर महसूस कर रहा है। प्रशासनिक दफ्तरों के ठीक सामने हुई यह गुंडागर्दी यह बताने के लिए काफी है कि अपराधियों के मन से कानून का डर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। शहर में बेतहाशा खुलते शराब के ठेके और उनके बगल में चल रहे अहाते आखिर किसके संरक्षण में फल-फूल रहे हैं?

सवाल यह भी है कि क्या प्रशासन और यातायात पुलिस की जिम्मेदारी केवल चालान काटने और अवैध वसूली तक ही सिमट कर रह गई है? जब शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिस की मौजूदगी नदारद हो और नशेड़ियों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा हो, तो व्यवस्था की प्राथमिकता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगता है। मांग यह है कि उन सभी शराब दुकानों और अहातों के लाइसेंस तत्काल निरस्त किए जाएं जो रिहायशी और व्यस्त इलाकों में जनता के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं।

इसके साथ ही, सड़कों पर दिखने वाले हर नशेड़ी और उपद्रवी पर ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए जो समाज में नजीर बने। यदि इंदौर का प्रशासन अब भी नहीं चेता और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहा, तो यह मान लिया जाएगा कि शासन के लिए राजस्व की तिजोरी आम नागरिक की जिंदगी से कहीं अधिक कीमती है।

इंदौर की आत्मा उसकी सुरक्षा में बसती है, और यदि वह छिन गई, तो फ्लाईओवर और मेट्रो की चमक भी इस शहर के जख्मों को भरने में नाकाम रहेगी।

वकीलों को लाड़ला वकील बनाना चाहते हैं क्या ? - हाइकोर्ट

नए वकीलों हेतु स्टाइपंड हेतु दायर याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

इन्दौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने नए वकीलों को स्टाइपंड मिलेगा या नहीं, इस मुद्दे पय दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई दौरान मौखिक टिप्पणी करते याचिकाकर्ताओं से पूछा कि ...आप क्या चाहते हैं, क्या आप नए वकीलों को लाड़ला वकील बनाना चाहते हैं।

इन जनहित याचिकाओं में एक एडवोकेट लकी जैन द्वारा तथा दूसरी यंग एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है। इन याचिकाओं में चिंता जाहिर करते कोर्ट से मांग की है कि वकील नियमों में बंधे हैं।

इससे वकालत के अलावा अन्य काम नहीं कर सकते। नए वकीलों के सामने खुद को स्थापित करने की चुनौती होती है।

उनको सनद आने के कम से कम तीन वर्ष तक निश्चित स्टाइपंड जीवन यापन को दिया जाना चाहिए। सुनवाई दौरान राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस शुरू करने में तीन से पांच साल लगते हैं। इस अवधि में उनके पास भरण-पोषण का साधन नहीं होता।

उनको शासन द्वारा प्रारंभिक तीन वर्ष तक प्रतिमाह स्टाइपंड दिया जाना चाहिए। बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने जिला स्तर पर 20 हजार रुपए प्रतिमाह और तहसील स्तर पर 15 हजार रुपए प्रतिमाह स्टाइपंड दिए जाने की अनुशंसा की थी।

अन्य राज्यों में तो इसे लागू कर दिया गया है, लेकिन मप्र में ये प्रस्ताव अभी भी लंबित है। वहीं परिषद ने कोर्ट को यह भी बताया कि कई वरिष्ठ अधिवक्ता है जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाइपंड देते हैं।

कोर्ट ने सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

साढ़े तीन करोड़ की गायब हुई निगम द्वारा लगवाई आर ओ मशीनों पर स्मार्ट सिटी कंपनी को हमदस्त नोटिस जारी

इन्दौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने इन्दौर में विभिन्न व्यस्त सार्वजनिक स्थानों पर आम जन को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए लगाई गई साढ़े तीन करोड़ की आरओ मशीनों के अब लगाएं गये स्थानों से गायब हो जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते एक बार फिर स्मार्ट सिटी कंपनी को नोटिस दिया है। युगलपीठ ने पहले भी कंपनी को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब देने को कहते तल्ख लहजे में सवाल किया था कि - कहां बह गई साढ़े तीन करोड़ की आरओ मशीनें ? एडवोकेट मनीष यादव के अनुसार समाजसेवी महेश गर्ग ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के प्रमुख चौराहे और मार्गों पर आरओ और वाटर कूलर लगे थे। इस पर साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च हुई। वर्तमान में मशीनें गायब है। ये मशीनें कहां गई, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। जबकि टेंडर शर्तों के अनुसार, मशीनों का रखरखाव इन्हें लगाने वाली कंपनी को 10 साल तक करना था। वर्तमान में राहगीरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। याचिका सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि स्मार्ट सिटी कंपनी को नोटिस मिल गए हैं, लेकिन कोई पेश नहीं हुआ। जिसके बाद कोर्ट ने इस बार स्मार्ट सिटी कंपनी को हमदस्त नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलने के अगले तीन सप्ताह में स्मार्ट सिटी कंपनी को जवाब देना होगा सुनवाई की अगली तारीख अगस्त के आखिरी सप्ताह में नियत की है।

किशोर वाधवानी, दबंग दुनिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने चार्जशीट पेश की

इन्दौर। विशेष अदालत (पीएमएलए) इंदौर में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इंदौर उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दबंग दुनिया समूह से जुड़े किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी, पूनम वाधवानी और मेसर्स दबंग दुनिया पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अभियोजन शिकायत (प्रोसिक्यूशन कम्प्लेंट) दाखिल की है। विशेष अदालत ने मामले का परीक्षण करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लेते हुए आगे की न्यायिक कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी है। किशोर वाधवानी पर अवैध धन को वैध आय में बदलने की साजिश का आरोप है। ईडी के अनुसार जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने कथित रूप से सरकार को धोखा देने के लिए सुनियोजित साजिश रची। ईडी ने इस मामले में 30 अक्टूबर 2025 को विशेष अदालत, इंदौर में अभियोजन शिकायत प्रस्तुत की थी। इस पर विचार के बाद विशेष न्यायालय ने 12 जनवरी 2026 को धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के अपराध का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई की अनुमति प्रदान की थी जिसके अनुक्रम में कार्यवाही की जा रही है।

जनसुनवाई : हर जरूरतमंद तक पहुंची रही प्रशासन की संवेदनशील पहल

इंदौर। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार आयोजित हो रही साप्ताहिक जनसुनवाई आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का सशक्त माध्यम बना रही है। जनसुनवाई में पहुंचे विभिन्न आवेदकों की समस्याओं को कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने संवेदनशीलता के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए त्वरित सहायता सुनिश्चित की।

जनसुनवाई में एक भावुक पल उस समय देखने को मिला, जब श्रीमती भावले अपनी तीन नातियों

सुश्री सिद्धि भावले, तमन्ना भावले एवं हिमांशी भावले के साथ अपनी समस्या लेकर पहुंचीं। उन्होंने कलेक्टर श्री शिवम वर्मा को बताया कि बच्चियों के माता-पिता का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके बाद उनके पालन-पोषण की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे बच्चियों की स्कूल फीस जमा नहीं हो पा रही हैं। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने उनकी बात गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को बच्चियों की स्कूल फीस माफ कराने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार दिव्यांग बालक मिहिर चौहान अपने पिता श्री लखन चौहान के साथ जनसुनवाई में पहुंचे। लखन चौहान ने बताया कि उनके पुत्र को सुनने में परेशानी होती है और उसके कान में श्रवण यंत्र लगा हुआ है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बालक की समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल 18 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

रोहित आई हॉस्पिटल में 'कॉर्निया क्लिनिक' का शुभारंभ

इंदौर। चिकित्सा और नेत्र देखभाल के क्षेत्र में विश्वसनीयता व आधुनिकता का पर्याय बन चुके रोहित आई हॉस्पिटल ने आज अपनी स्थापना के 35 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर अस्पताल परिसर में एक सादे और गरिमापूर्ण समारोह का आयोजन किया गयाजिसमें केक काटकर अस्पताल के इस शानदार सफर को याद किया गया।

उल्लेखनीय है कि 35 वर्ष पूर्व, 14 जुलाई 1991 को रोहित आई हॉस्पिटल की स्थापना के समय भी डॉ. पी एस हार्डिया ने अपने शुभ आशीर्वाद से इस चिकित्सा यात्रा का शुभारंभ किया था।

यह ऐतिहासिक दिन अस्पताल के लिए एक और बड़े मील का पत्थर साबित हुआ। अस्पताल के

मेडिकल डायरेक्टर डॉ. ओ.पी. अग्रवाल के सुपुत्र डॉ. रक्षित अग्रवाल (जिन्होंने हाल ही में कॉर्निया में अपनी सुपर-स्पेशियलिटी फेलोशिप पूरी की है) ने अस्पताल में नए कॉर्निया क्लिनिक की शुरुआत की।

इस अत्याधुनिक क्लिनिक का उद्घाटन डॉ श्रीमती विद्या अग्रवाल, डायरेक्टर रोहित आई हॉस्पिटल हाथों संपन्न हुआ।

इस 35वीं वर्षगांठ को समाज के प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से, रोहित आई हॉस्पिटल 14 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक एक महीने का विशेष 35वीं वर्षगांठ सेवा अभियान आयोजित करने जा रहा है। इसके अंतर्गत आम जनता के लिए विशेष रियायती दरों पर परामर्श और नेत्र जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे।

रोहित आई हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. ओ.पी. अग्रवाल ने कहा- रोहित आई हॉस्पिटल के लिए 14 जुलाई का दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि हमारे 35 वर्षों के अथक परिश्रम, मरीजों के अटूट विश्वास और सेवा की निरंतरता का एक जीवंत दस्तावेज है।

डॉ. अग्रवाल ने आगे कहा- चिकित्सा विज्ञान लगातार बदल रहा है और आधुनिक तकनीकों का समावेश आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

मुझे बेहद खुशी और संतोष है कि मेरे सुपुत्र डॉ. रक्षित अग्रवाल, कॉर्निया में अपनी सुपर-स्पेशियलिटी फेलोशिप पूरी करके इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं।

कार्टून कोना...